

संक्षिप्त

खेलकूद प्रतियोगिता

आज से

सांभरझील, (निर्स)। यहां के दशहरा मैदान में सोमवार से ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा। 12 से 15 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 7:30 बजे होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजा का वास को प्रिंसिपल नीलामा ने बताया कि इसके तहत प्रथम चरण में टेनिस बॉल क्रिकेट, शूटिंग बॉल, वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सांभर के दशहरा मैदान में, कबड्डी महिला व पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुण्डवाड़ा में तथा इसी दिन खो महिला वर्ग की प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय त्वेद में आयोजित होगी।

राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया

बौली-बामनवास, (निर्स)। वन पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों की रक्षा अर्पण करने का पालन करते हुए बलिदान करने वाले वन विभाग के शहीदों की याद में रविवार को बौली रेंज कार्यालय पर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जंगल एवं वन्य प्राणियों के प्राणों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन विभाग के वन कर्मियों की याद में बौली रेंज कार्यालय पर वनपाल लक्ष्मीकांत जेमन के नेतृत्व में अपने अधीनस्थ वन कर्मियों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनको याद में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सहायक वनपाल हीरालाल, वनरक्षक प्रहलाद, युद्धन खां, बच्चन, व संतोष योगी सहित अन्य वन कर्मी भी उपस्थित थे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सांभर में अनेक जगहों पर खुले कचरा डिपो से पर्याटक नगरी का सौंदर्य बिगड़ा



सांभर की पुरानी चारा मंडी में कचरा डिपो के बाहर खुले में पड़ी गंदगी।

ही है तथा पर्यटन नगरी की सुंदरता पर भी दाग लग रहा है। यह बात भी सामने आई है कि लोगों की ओर से भी खुले में कचरा फेंकने की आदत अभी तक बंद नहीं हुई है जिसकी वजह से यहां

कचरे का ढेल लग जाता है, वही पालिका प्रशासन की ओर से भी नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं करने के कारण यह अब आम बात हो गई है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी मनीषा

यादव को उनके व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर वक्तव्य मांगा गया था लेकिन उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। राजेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष महासंघ, सांभर का कहना है कि

पालिका प्रशासन के पास पर्याटक स्टाफ होने के बावजूद नियमित साफ-सफाई का अभाव

नियमित साफ-सफाई के लिए पालिका प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए सहायक अभियंता के मार्फत इन जगहों का सर्वे करवा कर इसका उचित समाधान कराया जाना चाहिए ताकि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को राहत मिल सके। नवलकिशोर सोनी, वाइस चेयरमैन, सांभर का कहना है कि मैंने खुद ने ईओ मैडम को कई बार खुले कचरा डिपो हटवाने का अनुरोध किया था। पालिका प्रशासन केवल बातों का भुगतान कर रही है कार्य के प्रति लापरवाही आज भी बनी हुई है। अनिल कुमार गढ़ानी, नेता प्रतिपक्ष, सांभर का कहना है कि सांभर की सफाई व्यवस्था बहुत खराब है। कई दफा इसके लिए ध्यान दिलवाया जा चुका है लेकिन स्थिति ढाक के तीप बात बने हुई है।

लंपी रोग से पीड़ित गौवंश उपचार के अभाव में भटकने को मजबूर

अलवर, (निर्स)। राजगढ़ कस्बे में दर्जनों लंपी रोग से पीड़ित गौवंश के खुले विचरण से अन्य गौवंश में लंपी रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मूकदर्शन बने रहने से गौवंश खुले में भटकने को मजबूर हो रहा है। जाकारगी के अनुसार कुछ गौवंशक अपने स्तर पर कस्बे में खुले घूम रहे गौवंश को आर्युवेदिक दवा, स्प्रे का छिड़काव कर पीड़ित गौवंश का उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित गौवंश के खुले भ्रमण के कारण उनके प्रयास ऊंट के मुंह में जिरें वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।

गौसेवक अपने स्तर पर गौवंश का उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं

गौसेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश प्रधान ने बताया कि गौसेवकों द्वारा पालिका एवं प्रशासन को भी मौखिक अवगत कराने के बावजूद कार्यवाही में शून्यता रहने से पीड़ित मूक गौवंश आवश्यक उपचार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। गौसेवकों ने बताया कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो इसके परिणामस्वरूप अन्य रोगों के फैलने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। सामाजिक सेवी दिनेश प्रधान ने बताया कि सोमवार को कस्बे में गौवंश में फ़ैल रहे लंपी रोग पर नियंत्रण करने तथा पीड़ित गौवंश के समुचित उपचार करने को लेकर आमजन द्वारा उपजिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जायेगा।

खेल को खेल की भावना से खेलें : रानी रत्नाकुमारी

विराटनगर। रानी रत्ना कुमारी ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हारे हुए खिलाड़ियों को निराश नहीं होकर जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जीतने वाले से प्रेरणा लेनी चाहिए।

रानी रत्ना कुमारी ने ये विचार बागावास अहिरान के निकट ग्रीन पार्क में आयोजित श्री श्याम तृतीय दौड़

श्री श्याम तृतीय दौड़ प्रतियोगिता आयोजित

प्रतियोगिता में बतौर अतिथि व्यक्त किए उन्होंने कहा कि जीतने वाले कोई अलग से काम नहीं करते, बस उनके काम करने का तरीका अलग होता है। रानी रत्ना कुमारी ने खेलों के महत्व



विराटनगर के बागावास अहिरान में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का सम्मान किया।

बताते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतियोगिता होते रहना चाहिए। इस दौरान विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र व ट्राफी देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामचंद्र

सराधना, भाजपा नेता हरिप्रसाद बल्लोवाल, सरदार मल यादव, महेंद्र सिंह शेखावत, देवनायण लताला समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता के आयोजक विजेन्द्र यादव, सरपंच मित्रा देवी, रामेश्वर यादव ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया।

ऋण वसूली प्राधीकरण
पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कोठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015
केस नं. ओए/557/2022
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

आईडीएफसी बैंक लि.
बनार
समर्थ इम्पेक्स

प्रेषित,
(1) समर्थ इम्पेक्स
1096, गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान
(2) सुरेंद्र कुमार अग्रवाल
1096, गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान
(3) रितु अग्रवाल
1096, गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान

सम्मन
जैसा कि, ओए/557/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ क्र. 2257338/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एड के सौंखान 19(4) के तहत दायर अर्द्ध आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लम्बित रहते सितकोई सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सितकोई हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सितकोई परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सितकोई हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 17.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा भेरे द्वारा इस तिथि 11.07.2022 को जारी किया गया।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग, ज्ञापन सौंपा

खैरथल, (निर्स)। खैरथल आए पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह व प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से भाजपा शासन के दौरान 2018 एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया।

कस्बे के हरसौली रोड स्थित शैलजा गिट्टस उद्योग पर क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खेरिया की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सम्मान एवं स्वागत कार्यक्रम में एससी-एसटी समाज विधानसभा क्षेत्र किशन की ओर से दिदि गे ज्ञापन में कहा गया है कि 2018 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भाजपा शासन में जबरदस्ती घरों में घुस कर दरवाजे तोड़ कर नाबालिग बच्चों, महिलाओं व पढ़ाई-लिखाई करने वालों को गिरफ्तार कर झूठे

करवा कर फाटक फ्री करवाने तथा दो तीन किलोमीटर सड़क के खस्ताहाल भाग का निर्माण कराने की मांग की है। इस मौके पर किशनगढ़ बास के प्रधान बीपी सुमन, नगर पालिका खैरथल में वृत्तीय नेता विक्रम चौधरी, महासचिव फतेह मोहम्मद, परवेज आलम, शिवचरण गुप्ता, जसवंत आर्य, पार्षद कर्ण सिंह चौधरी, नारायण छंगणी, पवन वासु, मनोज बुराहडिया, धनश्याम भारती, जाजन मूलानी, भरत, मनोनीत पार्षद रामचंद्र कामरेड, सोमजसेवी दिलीप झालानी, सुलतान तंवर, प्रकाश, पार्षद पति एडवोकेट महेंद्र पाल टिंकू, खैरथल विकास मंच के अध्यक्ष श्याम लाल शर्मा, मनोहर परवाना, देशराज जांगिड, भांगेड खेरिया, अधिषेक, राकेश रानु, उम्मान खान, मुन्नी गुर्जर, रामकिशन नायब तहसीलदार खैरथल, नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा भी मौजूद रहे।

कार्यकारिणी का गठन

पावटा, (निर्स)। उपखण्ड पावटा के राहरी सती मंदिर में रविवार को ई मित्र संचालकों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष महेश यादव, उपाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा, सचिव सीताराम आर्य, कोषाध्यक्ष दीपक पटेल, मोडिया प्रभारी विक्रम जितरवाल, सहसचिव महेंद्र, संरक्षक राजेंद्र शर्मा को निर्वाचित किया गया एवं सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का ईमिंत्र संचालकों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया।

मीटिंग में कुछ समय पूर्व बदमाशों के द्वारा टसकोला में ईमिंत्र संचालक पर फायरिंग कर लूटने की घटना का विरोध किया। इस प्रकार की जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ईमिंत्र संचालकों द्वारा घटना व विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। मीटिंग में राकेश शर्मा, अशोक आर्य, शाहख खां, कोशल जांगिड, अशोक, सुरेंद्र, महावीर यादव सहित समस्त ईमिंत्र संचालक उपस्थित रहे।

ऋण वसूली प्राधीकरण
पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कोठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015
केस नं. ओए/556/2022
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
बनार
राजवीर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड

प्रेषित,
(1) राजवीर फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
774, मिन्वा सिनेमा के पीछे, सांगानेरी गेट, जयपुर, राजस्थान-302003
(2) हीरा नन्द
774, मिन्वा सिनेमा के पीछे, सांगानेरी गेट, जयपुर, राजस्थान-302003
(3) ललक बलीरामनी
774, मिन्वा सिनेमा के पीछे, सांगानेरी गेट, जयपुर, राजस्थान-302003

सम्मन
जैसा कि, ओए/556/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ क्र. 2623818/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एड के सौंखान 19(4) के तहत दायर अर्द्ध आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लम्बित रहते सितकोई सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सितकोई हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सितकोई परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सितकोई हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 11.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा भेरे द्वारा इस तिथि 01.07.2022 को जारी किया गया।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

इंदिरा रसोई निर्माण व पुराने पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर उठे सबाल

किशनगढ़ बास, (निर्स)। नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 बास कृपाल नगर में पालिका की ओर से कराए जा रहे पुराने पंचायत भवन मरम्मत रंग पुताई व इंदिरा रसोई निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सवाल के घेरे में आ गया है। वहीं वार्ड पार्षद व गांव वासियों की शिकायत पर चेयरमैन ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को बंद कराया है। यह जानते हुए भी अधिकारी कार्य को पूरा होना बता रहा है।



नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में निर्माणाधीन रसोई।

है कि कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि इस पर कितना पैसा खर्च हुआ है और इसका टेंडर किस एजेंसी को छोड़ा गया है कितनी राशि है।

टेंडर के सवाल पर ईओ महेश गुर्जर का कहना है कि यह कार्य अलग-अलग कराया गया है बिल आने पर ही बताया जा सकता है कि इस पूरे कार्य में कितना पैसा पालिका की ओर से खर्च

किया गया है। सवाल यह है कि क्या बिना टेंडर किए इस प्रकार कार्य पालिका करा सकती है और अगर टेंडर जारी किए गए हैं तो अधिकारी क्यों खुपे रहे हैं। अधिकारी यह तो बता रहा है कि पार्षद और ग्राम वासियों की ईट हल्की प्रयोग में लिए जाने को लेकर शिकायत थी जिसको दूर करा दिया गया है। वार्ड नंबर 2 पार्षद पति मन्जु शर्मा का कहना है पुराने पंचायत भवन में चार

शिकायत पर चेयरमैन ने वार्ड नंबर 2 बीके नगर में चल रहे निर्माण को रुकवाया

दिवारी शौचालय आदि के मरम्मत व रंग रोगन के कार्य के साथ टिन शेड लगाकर इंदिरा रसोई का निर्माण नगर पालिका की ओर से किया जा रहा था। निर्माण कार्य में उपयोग ली जा रही लाल पेट्टी ईट को लेकर शिकायत मिलने पर गांव वालों के साथ पहुंच कर देखा और लाल पेट्टी ईट मिलने पर टेकेदार से एस्टीमेट की कॉपी मांगी तो ने नहीं थी और ना ही यह बताया कि कितनी राशि इस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है। जवाब इसकी शिकायत चेयरमैन से की गई तो चेयरमैन ने पार्षद व ग्राम वासियों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर ही टेकेदार को कहकर कार्य को रुकवाया हुआ है।

बिना परमिशन कॉपर-टी लगाने का आरोप, महिला की मौत

अलवर, (निर्स)। अलवर के जनाना अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। पति का आरोप है कि दो महीने पहले उसकी पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया था डॉक्टरों ने बिना पूछे कॉपर-टी लगा दी थी। अलवर के जनाना अस्पताल में 10 सितंबर शनिवार रात 12 बजे दोसा के महोआ निवासी 19 साल की महिला आशा योगी की मौत हो गई। जिसने 2 महीने पहले ही 21 जून 2022 को पहली संतान के रूप में बेटी को जन्म दिया था। पति ने आरोप लगाया कि अस्पताल में बिना बताए पत्नी को कॉपर-टी लगा दी। जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। वापस भर्ती कराया। 10 सितंबर की रात को मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड से रिवार को पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 21 जून को आशा योगी ने बेटी को जन्म दिया और 22 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इसी बीच में कॉपर-टी भी लगाई गई है। लेकिन पति-पत्नी को बताए बिना कॉपर-टी लगा दी। जिसके कारण घर जाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी। 7 सितंबर को वापस अस्पताल लेकर आए। तब पति-पत्नी को पता लगा कि कॉपर-टी लगी है। तब डॉक्टरों ने कहा कि कॉपर-टी निकाल दी है। 9 सितंबर को वापस छुट्टी दी। लेकिन घर जाने के तुरंत बाद महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उसी दिन वापस अस्पताल में भर्ती कराया। फिर अगले दिन 10 सितंबर की रात 12 बजे महिला की मौत हो गई। परिवार ने

आरोप है कि कॉपर-टी के कारण महिला की मौत हो गई। डॉक्टर व स्टाफ ने गंभीर लापरवाही बरती है। महिला आशा के पति रामकेश रिश्वा चलाते हैं। पत्नी के प्रसव के लिए वे सोनावा डुंगरी में भाई के यहां रुके हुए थे। 7 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में आए। यहां पत्नी को भर्ती कराया। 9 सितंबर को पत्नी को वापस छुट्टी दी। लेकिन वे अलवर शहर में सोनावा डुंगरी पर भाई के घर पर पहुंचे थे। थोड़ीदूर बाद पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वापस अस्पताल लेकर आए। रात को मौत हो गई।

अब 2 माह पहले जन्म लेने वाली मासूम मं बिना रह गई है। उसने आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली थी कि उससे पहले ही मां चल बसी। पति भी मासूम है। उनका कहना है कि डॉक्टर ने दोहरी लापरवाही की है। बिना कहे कॉपर टी लगाई। इसके बाद तबीयत बिगड़ी तो वापस भर्ती कराया। फिर भी गंभीरता से नहीं लिया। कॉपर-टी निकालने के बाद छुट्टी दे दी। जबकि उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब थी। इस कारण 9 सितंबर को ही वापस अस्पताल लाए। लेकिन रात 10 सितंबर को मौत हो गई।

इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने दोषार तब कोई सफाई नहीं दी। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली के सुरेश पहाडिया ने बताया कि परिवार का आरोप है कि कॉपर टी बिना बताए लगाई गई। बाद में भी इलाज में लापरवाही बरती है। अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। जांच की जाएगी।

शोभायात्रा निकाली

मंडावरी, (निर्स)। कस्बे में अंततः चतुर्दशी के मौके पर गणेश चतुर्थी के दिन विराजित किए गए गणपति महाराज की मोरले बांध पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ पूजा अर्चना के साथ महा आरती करते हुए महा विसर्जन किया गया। इससे पहले गणपति की दस दिवस की हुई पूजा अर्चना के बाद गणपति को शुभ मुहूर्त में विधि विधान से आसन से उतारकर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न मार्गों से शोभायात्रा भी निकाली गई।

गणपति विसर्जन से पूर्व निकाली गई गणपति शोभायात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा जमकर धार्मिक नृत्य किया गया व जयकारे लगाए गए वहीं शोभायात्रा के बाद गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जन गणपति की शोभायात्रा निकाली के लिए मोरले बांध पर ले जाया गया। वहीं मूर्ति विसर्जन से पहले आचार्य ज्ञानेंद्र ज्ञानू शास्त्री के सानिध्य में आचार्यों द्वारा विसर्जन पूर्व गणपति की विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। इसके पश्चात मोरले बांध में गणपति बप्पा को विसर्जित कर दिया गया।

ऋण वसूली प्राधीकरण
पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कोठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015
केस नं. ओए/624/2022
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

आईडीएफसी बैंक लि.
बनार
आविन्दो

प्रेषित,
(1) आविन्दो
एच-339, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान-302022
(2) अरविन्द कुमार अग्रवाल
एच-339, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान-302022
(3) कनिष्क अग्रवाल
एच-339, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान-302022

सम्मन
जैसा कि, ओए/624/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 15.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ क्र. 4905125/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एड के सौंखान 19(4) के तहत दायर अर्द्ध आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लम्बित रहते सितकोई सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सितकोई हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सितकोई परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सितकोई हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 12.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा भेरे द्वारा इस तिथि 08.07.2022 को जारी किया गया।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

ऋण वसूली प्राधीकरण
पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कोठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015
केस नं. ओए/548/2022
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

आईडीएफसी बैंक लि.
बनार
आर.एस. ओवरसीज

प्रेषित,
(1) आर. एस. ओवरसीज
ए-73, राजधानी कृषि उपज मंडी, सीकर रोड, जयपुर राजस्थान-302013
(2) अभिशेक इन्फ्रावेल
ए-73, राजधानी कृषि उपज मंडी, सीकर रोड, जयपुर राजस्थान-302013
(3) सत्य प्रकाश खंखलवाल
ए-73, राजधानी कृषि उपज मंडी, सीकर रोड, जयपुर राजस्थान-302013

सम्मन
जैसा कि, ओए/548/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16.06.2022 को सूचिबद्ध था,
जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ क्र. 2366423/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि संलग्न) के ऋण की वसूली के लिये, एड के सौंखान 19(4) के तहत दायर अर्द्ध आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन/नोटिस जारी करता है।
एड के सौंखान 19 के सब सौंखान (4) के अनुसार, आप प्रतिवादी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।
(i) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करें।
(iii) सम्पत्तियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लम्बित रहते सितकोई सम्पत्तियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।
(iv) किसी भी परिसम्पत्ति जिन पर सितकोई हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 32 के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।
(v) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सितकोई परिसम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्पत्तियों पर सितकोई हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब 4 दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 14.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।
इस प्राधीकरण की सील तथा भेरे द्वारा इस तिथि 24.06.2022 को जारी किया गया।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर